International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 23-11-2019; Accepted: 24-12-2019
www.hindijournal.com
Volume 6; Issue 1; January 2020; Page No. 72-73

राष्ट्रभाषा–प्रहरी नृपेन्द्र नाथ गुप्त की दृष्टि में हिन्दी भाषा एवं संस्कृति की अस्मिता

डॉ० पुलकित कुमार मण्डल
सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, पी०बी०एस० कॉलेज, बाँका, ति०मा०भा०वि० वि० भागलपुर, बिहार, भारत

सारांश
भाषा, किसी भी स्थान (क्षेत्र) विशेष के ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक गुणों की वाहिका होती है। भाषा, व्यक्ति–विशेष की व्यक्तिगत रूचियों, प्रवृत्तियों एवं सोच की प्रदर्शिका होती है। किसी भी भाषा की मौलिकता की रक्षा उस भाषा के प्राचीन रूप में रचित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक साहित्य द्वारा होती है। समाज की संस्कृति में परिवर्तन होने के साथ ही भाषा में भी परिवर्तन होने लगता है। किसी भी समाज या राष्ट्र की एक प्रतिनिधि भाषा होती है, जो अपने समय से वर्तमान तक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक चेतना का संवहन करती है।

मूल शब्द: भारतीय सुसंस्कृत, स्त्री संवेदना।

नृपेन्द्र नाथ गुप्त का सामान्यः प्रस्तावना

वर्तमान में बिहार प्रदेश के ख्याति लब्ध वयोवृद्ध साहित्यकार एवं सम्पादक श्री नृपेन्द्र नाथ गुप्त का जन्म 01 सितम्बर 1934 ई को मुंगेर जिलांतर्गत मुंगेर नगर के वासुदेवपुर पोस्ट के माधोपुर गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती मैना देवी एवं पिता क नाम श्री उदित नारायण लाल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नगर पालिका विद्यालय, मुंगेर से, मध्य, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा टाऊन हाई स्कूल +2, मुंगेर से, स्नातक की शिक्षा आर०डी० एण्ड डी०जे० कॉलेज, मुंगेर से एवं स्नातकोत्तर की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय पटना से हुई। शिक्षोपरांत वे बिहार लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित हुए और भू–निबंधन पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवा दी। सेवा क्रम में तो ये साहित्य रचना भी कर रहे थे। 1965 ई० में इनका प्रथम काव्य–संग्रह 'आत्मबोध' प्रकाशित हुआ और तत्कालीन प्रमुख साहित्यकारों जैसे रामधारी सिंह 'दिनकर', हरिवंश राय बच्चन, नलिन विलोचन शर्मा, नागार्जुन, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, गोपाल सिंह नेपाली इत्यादि ने प्रशस्ति पत्र भी भेजे। इनका दूसरा काव्य–संग्रह जून 2007 में प्रकाशित हुआ। इनका निबंध–संग्रह 'विश्वभाषा हिन्दी भारत में ही उपेक्षित' मार्च 2007 मे प्रकाशित हुआ। सेवा–निवृति के बाद से ये भाषा–भारती संवाद' कुछ वर्ष बाद 2000 ई० से 'नया भाषा–भारती संवाद पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन भी करते आ रहे हैं।

इनकी कविताओं, व्यंग्यों एवं विचारोत्तेजक आलेखों का प्रसारण आकाशवाणी, पटना एवं दूरदर्शन पटना से भी हुआ है। राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार एवं संरक्षण के लिए देश के कई सम्मेलनों में भी ये अपने विचार प्रस्तुत कर चुके हैं एवं चौरासी वर्ष कीआयु में भी सक्रिय होकर राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार में अपना अमूल्य योगदान दे रहे है।

नृपेन्द्र नाथ गुप्त की दृष्टि में हिन्दी :

राष्ट्रभाषा हिन्दी के महत्त्व एवं इसकी वर्तमान दुर्दशा की ओर हमारा ध्यान खींचते हुए श्री नृपेन्द्र नाथ गुप्त ने अपने निबंध–संग्रह 'विश्वभाषा हिन्दी भारत में ही उपेक्षित' की भूमिका में कहा है कि, "हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा–राजभाषा है, सम्पर्क भाषा है और जन–जन की भाषा है। विश्व में हिन्दी बोलने वालों की संख्या अन्य विदेशी भाषाओं की तुलना में सर्वाधिक है किन्तु स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद ही राष्ट्रीयता और अल्पसंख्यकों के नाम पर विश्व की खिड़की की संज्ञा देने वाले नेताओं ने अंग्रेजी को सम्पूर्ण भारत में अनिश्चित काल के लिए लाद दिया है।"**1**

यह बात सर्वविदित है कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान–निर्माण के क्रम में 14 सितम्बर 1949 ई० को संविधान के अनुच्छेद 343 'क' में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 ई० को संविधान लागू होने के साथ ही हिन्दी राजभाषा के रूप में विधि–पूर्वक स्वीकृत हो जानी चाहिए थी लेकिन देश के तत्कालीन प्रमुख नेता की अंग्रेजी–परस्त मानसिकता के कारण हिन्दी पंद्रह वर्षों के लिए टाली गई और फिर सदा के लिए टाल दी गई। कालान्तर में देश के अन्य राज्यों में हिन्दी–विरोध के स्वर भी मुखर हो गए। अब हमें लगता है कि वैश्वक संस्कृति के प्रभाव बढ़ने के कारण हिन्दी का राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा बनना एक दिवास्वप्न बन कर रह गया है।

देश के नीति–नियंताओं की दोहरी नीति एवं लंगड़ी सोच को उजागर करते हुए श्री नृपेन्द्र नाथ गुप्त ने अपने निबंध–संग्रह 'विश्वभाषा हिन्दी भारत में ही उपेक्षित' की भूमिका में कहा है :– "चुनाव के समय वे राजनेतागण हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते है किन्तु राजसत्ता पर आसीन होने के पश्चात् वे हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री मान लेते है और लगातार यह दुष्प्रचार करते है कि हिन्दी एक अत्यंत पिछड़ी व असमृद्ध भाषा है, इसको अपनाने से हम वैश्विक स्तर पर पिछड़ जायेंगे, देश की राष्ट्रीय एकता विखंडित हो जाएगी।"

इसप्रकार जब हम अपनी भाषा एवं संस्कृति को भूल जाएंगे और अपनी नई पीढ़ी को अपनी भाषा–संस्कृति से परिचित भी नहीं होने देंगे तो अपने देश की अस्मिता कैसे रहेगी? हम जानत है कि किसी राष्ट्र का प्रतिनिधि साहित्य जिस भाषा में रचित होता है। वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत का राष्ट्रीय एवं प्रतिनिधि साहित्य अधिकांशतः संस्कृत भाषा में रचित है, अतः संस्कृत सांस्कृतिक रूप में भारत की राष्ट्रभाषा कहलाने की अधिकारिणी है; परन्तु, जन–सामान्य के लिए क्लिष्ट होने के कारण इससे जन्मी एक सरल भाषा हिन्दी, जिसके सत्तर प्रतिशत से अधिक शब्द संस्कृत के हैं और बाकी शब्द देशज और विदेशज है; यही वर्तमान में भारत की प्रतिनिधि भाषा है। हिन्दी से ही भारतीय अस्मिता की रक्षा भी संभव है। भारत की अन्य भाषाएँ जो लिपि

के रूप में तो भिन्न हैं, परन्तु अधिकतर शब्दों की साम्यता रखती हैं, हिन्दी जाति की भाषा कहलाती हैं। उच्चारण की दृष्टि से कश्मीर से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वोत्तर एवं मध्य भारत की भाषाएँ हिन्दी की जातीय भाषाएँ कहलाती हैं; और यदि हम भाषा–भेद की बात करें तो फिर समान लिपि, शब्द एवं उच्चारण साम्यता रहने पर भी केवल वाचन–शैली की भिन्नता के कारण हिन्दी भी कई भाषाओं (बोलियों) में खंडित हो चुकी है, जैसे– हिन्दी से मैथिली, मगही, अंगिका, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, छत्तीसगढ़ी इत्यादि। लेकिन, प्रत्येक देशी भाषा–भाषियों का सम्मान करते हुए कड़ी के रूप में एक प्रतिनिधि देशी भाषा के माध्यम से एक–दूसरे के साथ भावों–विचारों का आदान–प्रदान करते रहें। साथ ही अपनी सभ्यता–संस्कृति एवं इतिहास से परिचित रहें, तभी राष्ट्र की अस्मिता बनी रहेगी।

यदि हम अपने राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा राष्ट्रीय भाषा–संस्कृति के माध्यम से नहीं कर पाएँगे तो हम किसी के परतंत्र हो चुके होंगे। लॉर्ड मेकाले ने भारत पर पूर्ण अधिकार करने हेतु 2 फरवरी 1835 ई० को ब्रिटिश संसद में एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने कहा कि – "मैंने इस मुल्क में, अपार सम्पदा देखी है। उच्च, उदात्त नैतिक मूल्यों को देखा है। इस योग्यता और मूल्यों वाले भारतीय को कभी कोई जीत नहीं सकता, यह मैं मानता हूँ। जब तक हम इस देश की रीढ़ ही न तोढ़ दें और भारत की यह रीढ़ है उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। इसीलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि भारत की पुरानी शिक्षा–व्यवस्था को हम बदल दें। उसकी संस्कृति को बदलें ताकि भारतीय यह सोचे कि जो भी विदेशी है, बेहतर है, ताकि वे सोचने लगे कि अंगरेजी भारतीय भाषाओं से महान है।"**3**

श्री नृपेन्द्रनाथ गुप्त ने अपने निबंध 'बंगलोर अधिवेशन से हमारी अपेक्षाएँ' में राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा में राष्ट्रीय भाषा में महत्त्व को रेखांकित करते हुए कहा है– "जब तक भारत में भारतीय भाषाओं को समुचित प्रतिष्ठा नहीं दी जाती तब तक राष्ट्रीय अस्मिता और देशभक्ति की बातें कोरी बकवास ही मानी जायेगी। भारतीय भाषाएँ अंग्रेजी का स्थान ले, इसके लिए आवश्यक है कि सभी विद्यालय–महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय का शिक्षण–माध्यम क्षेत्रीय भाषाएँ बनायी जाय तथा हिन्दी को एकमात्र सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित किया जाय।"**4**

राष्ट्रीय अस्मिता–भाव से रहित हो रहे नेता, मंत्री एवं अधिकारी के बारे में श्री नृपेन्द्र नाथ गुप्त ने अपने निबंध–'राष्ट्रीय अस्मिता एवं भारतीय भाषा' में कहा है–

"सुविधा–सम्पन्न शासक और राजनेता अंग्रेजी, अंग्रेजियत और पाश्चात्य संस्कृति से अभिभूत हो अनिश्चित काल तक अंग्रेजी भाषा की प्रधानता बनाये रखना चाहते हैं। अंग्रेजी का भूत उनपर इस कदर सवार है कि वे सार्वजनिक स्थलों पर भी अपनी मातृभाषा था राष्ट्रभाषा हिन्दी में बातें करना या भाषण देना अपना अपमान समझते है।"**5**

इस प्रकार, श्री नृपेन्द्र नाथ गुप्त ने राष्ट्रीय भाषा एवं अस्मिता में एक–दूसरे का पूरक माना है। यदि हमें अपने राष्ट्र के अस्तित्व को बचाये रखना है, तो भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण अवश्य ही करना होगा।

संदर्भ सूची

1. विश्वभाषा हिन्दी भारत में ही उपेक्षित, भूमिका, नृपेन्द्र नाथ गुप्त, भारतीय भाषा–साहित्य सम्मेलन बिहार ब्रह्मस्थान पथ शेखपुरा, पटना–04, वर्ष 2007
2. वही
3. 'नया भाषा भारतीय संवाद', जुलाई–सितम्बर 2010, सम्पादक– नृपेन्द्र नाथ गुप्त, पृ० 03
4. विश्वभाषा हिन्दी भारत में ही उपेक्षित, पृ० 38
5. विश्वभाषा हिन्दी भारत में ही उपेक्षित, पृष्ठ 57